

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, छठा तल, जवाहर भवन,
उ०प्र०, लखनऊ।**

संख्या: एम०ई०-३/२०२५/२०७३

लखनऊ: दिनांक ३० अगस्त, २०२५

यू०पी० नीट यू०जी० २०२५ की काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका सी संख्या-७८२०/२०२५ साबरा अहमद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २५.०८.२०२५, जो कि मा० न्यायालय की वेबसाइट पर आज दिनांक ३०.०८.२०२५ को अपरान्ह १:०९ बजे अपलोड हुआ है, के प्रासंगिक अंश निम्नवत है:-

27. All the four Government Orders being Government Order No.41/26-ब०प्र०-२०१०-जी-८७/२००६ dated २०.०१.२०१०, Government Order No.115/२६-ब०प्र०-२०११-जी १३६/२००७ dated २१.०२.२०११, Government Order No.1493/७१-१-२०११-जी-२६४/२०११ dated १३.०७.२०११, Government Order No. 1764/७१-१-२०१२-जी-२८४/२० dated १९.०७.२०१२, Government Order No. 1846/७१-१-२०१३-जी-२६४/२०१ dated १७.०७.२०१३ and Government Order No.1243/७१-१-२०१५-जी-२६४/२०११ dated १३.०६.२०१५ which mandate fixing of quotas for reservation in excess of the extent of reservation prescribed in the २००६ Act of the State Government are quashed. The State of U.P. is directed to fill the seats in the said four colleges afresh strictly based upon the reservation as prescribed under the Reservation Act of २००६ along with the reservation for the Central Government seats and the State Government seats.

28. As it is informed that the seats have already been filled, respondent No.2 will have to undergo into the fresh exercise to fill the seats in terms of the prescriptions contained for reservation in the Act, २००६ afresh.

प्रश्नगत रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २५.०८.२०२५ के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है। अद्यतन सूचनाओं हेतु निरन्तर बेवसाइट <https://www.dgme.up.gov.in> व <https://upneet.gov.in> का अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक